महिला एवं बाल विकास विभाग
निदेशालय, महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक.प.24(1)(9)/गरिमा योजना/WED/जेण्डर सैल/2015-16 जयपुर दिनांक – 17-06-16
8186-8218

जिला कलेक्टर
समस्त

विषय :– गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना के दिशा–निर्देश जारी करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 की बजट घोषणा (123) के अनुसार राज्य में बालिका संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को सम्मानित एवं पुरस्कृत करने के लिये **"गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, 2016"** लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना का लक्ष्य विभिन्न स्तरों पर बालिकाओं के प्रति हिंसा व शोषण के विरूद्ध अनुकरणीय कार्य करने वाली बालिकाओं, संस्थाओं एवं मानदेय कर्मियों को मान्यता व प्रोत्साहन प्रदान करते हुये प्रेरणा स्त्रोत विकसित करना है।

योजनान्तर्गत दो श्रेणियों (व्यक्तिगत/संस्था) में प्रदान किये जाने वाले पुरस्कार स्वरुप चयनित प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को 25000रु नकद, प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु योजना के दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न है। चूंकि योजनान्तर्गत पात्र/चयनित व्यक्ति/संस्था के प्रस्ताव आपके स्तर से निदेशालय को प्रेषित किये जायेगें। अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से योजना के संबंध में स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार कराने का श्रम करें।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(कुलदीप रांका)
शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक.प.24(1)(9)/गरिमा योजना/WED/जेण्डर सैल/2015-16-8219-8225 जयपुर दिनांक – 17-6-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीया मंत्री, मबावि।
2. समस्त उप निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाऐं/कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता।
3. रक्षित पत्रावली।

ऋचा खोड़ा
(ऋचा खोड़ा)
आयुक्त
महिला अधिकारिता

गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, 2016

राज्य में बालिका संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओ को सम्मानित व पुरस्कृत करने के लिए 'गरिमा बालिका सम्मान एवं संरक्षण योजना, 2016 लागू की जाती है। योजना का लक्ष्य विभिन्न स्तरों पर बालिकाओं के प्रति हिंसा व शोषण के विरूद्ध अनुकरणीय कार्य करने वाली बालिकाओं, संस्थाओं, मानदेयकर्मियों आदि को मान्यता व प्रोत्साहन देना एवं प्रेरणास्त्रोत विकसित करना है।

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ व विस्तार

(i) यह योजना **"गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना", 2016** के रूप में लागू की जायेगी।

(ii) यह योजना सम्पूर्ण राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

2. योजना की आवश्यकता एवं उद्धेश्य :

(i) बालिका जन्म, पालन–पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार आदि के संबंध में भेदभावपूर्ण मानसिकता समाप्त करना एवं जीवन के प्रत्येक स्तर पर बालिकाओं के प्रति लैंगिक समानता, सम्मान एवं गौरव का वातावरण विकसित करना।

(ii) बालिकाओं के प्रति होने वाली हिंसा एवं विभिन्न प्रकार के शोषण के विरूद्ध प्रभावी कार्य करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहन व मान्यता प्रदान करना।

(iii) बाल विवाह, बाल श्रम एवं लैंगिक अपराधों के विरूद्ध समाज में प्रेरणादायी वातावरण विकसित करना एवं जागरूकता बढाना।

(iv) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, घरेलु हिंसा के विरूद्ध संरक्षण अधिनियम, 2005, डायन–प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2015 आदि कानूनों की प्रभावी क्रियान्विति के लिए स्थायी प्रेरणादायक माहौल तैयार करना।

(v) 18 वर्ष से कम आयु की ऐसी बालिकाओं जिनके द्वारा पारिवारिक/सामुदायिक दबाव अथवा विषम परिस्थितियों में बहादुरी एवं साहस का परिचय देते हुए स्वयं अथवा अन्य किसी बालिका/महिला के साथ हिंसा/शोषण को रोक कर मिसाल पेश की है, को सम्मानित करने की आवश्यकता है ताकि यह जनसमुदाय एवं अन्य बालिकाओं के लिए प्रेरणा बन सकें।

(vi) ऐसे मानदेयकर्मी, स्वयं सेवी संगठन/ट्रस्ट, व्यक्ति, कोरपोरेट घराने/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सिविल सोसायटी ऑर्गनाइज़ेशन जिन्होने 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ हिंसा/शोषण को रोका हैं अथवा बालिका संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है, को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता हैं।

3. लक्ष्य समूह :

योजनान्तर्गत निम्न श्रेणी के अनुसार पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं को पुरस्कृत किया जायेगा :–

(i) **व्यक्तिगत पुरस्कार–**

1) 18 वर्ष से कम आयु की बालिका जिसने स्वयं अथवा अन्य किसी बालिका/महिला के साथ हिंसा/शोषण को रोका है,
2) मानदेयकर्मी
3) अन्य व्यक्ति– महिला अथवा पुरूष

(ii) **संस्थागत पुरस्कार –**

1) स्वयं सेवी संगठन/ट्रस्ट
2) कोरपोरेट घराने
3) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
4) सिविल सोसायटी ऑर्गनाइज़ेशन

4. योजना का क्रियान्वयन :

1) योजनान्तर्गत निम्नानुसार वर्णित किसी हिंसा/शोषण को रोकने एवं बालिका संरक्षण हेतु किये गये उत्कृष्ट कार्यो के लिये निर्धारित लक्ष्य समूह में वर्णित पात्र अभ्यर्थियों को सम्मानित किया जायेगाः

(i) यौन शोषण/लैंगिंक प्रताडना।
(ii) लिंग जांच आधारित गर्भपात।
(iii) बाल विवाह।
(iv) बाल श्रम।
(v) बाल तस्करी/देहव्यापार।
(vi) लैंगिक असमानता।

उपरोक्त के अतिरिक्त बालिका संरक्षण के लिए शिक्षा/कौशल विकास के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट प्रयास।

2) उपरोक्तानुसार प्रदान किये जाने वाले पुरस्कार को **गरिमा बालिका सम्मान व संरक्षण पुरस्कार** के नाम से जाना जावेगा।

3) योजनान्तर्गत पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति/संस्था को 25,000 रू. नकद, प्रशस्ति पत्र, एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जायेगा।

4) यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस, 24 जनवरी के अवसर पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदान किया जायेगा।

5) पुरस्कार दो श्रेणियों में निम्न विवरण के अनुसार प्रदान किये जायेगें:

(i) व्यक्तिगत पुरस्कार–

1) 18 वर्ष से कम आयु की बालिका जिसने स्वयं अथवा अन्य किसी बालिका/महिला के साथ हिंसा/शोषण को रोका है, — 14 पुरस्कार (प्रति संभाग दो पुरस्कार)
2) मानदेयकर्मी
3) अन्य व्यक्ति–महिला अथवा पुरूष

❖ क्रम संख्या एक को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ii) संस्थागत पुरस्कार– —3 पुरस्कार

1) स्वयं सेवी संगठन/ट्रस्ट
2) कोरपोरेट घराने
3) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
4) सिविल सोसायटी ऑर्गनाइज़ेशन

6) प्रत्येक वर्ष प्रदान किये जाने वाले पुरस्कारों हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:

(i) निदेशालय महिला अधिकारिता के द्वारा विज्ञप्ति जारी करना — प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में।
(ii) आवेदन प्राप्त कर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निदेशालय को अनुशंषा प्रेषित करना — प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक।
(iii) निदेशालय स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र नामों का चयन करना — प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक।

7) निदेशालय महिला अधिकारिता द्वारा निर्धारित अवधि में विज्ञप्ति प्रकाशित कर निर्धारित कार्यक्षेत्रों में उत्कृष्ट, उल्लेखनीय व प्रेरक कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थागत श्रेणी से पृथक–पृथक आवेदन आमंत्रित किए जायेंगे।

8) आवेदन निदेशालय महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तर पर कार्यरत कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिशः, डाक द्वारा या ई–मेल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों/फोटोग्राफ्स सहित प्रतिवर्ष 31 अक्टुबर तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे। आवेदक को विभाग द्वारा प्राप्ति रसीद दी जायेगी।

9) संबंधित कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता उपरोक्त पुरस्कारों के क्रम में प्राप्त आवेदनों की जाँच व अनुशंषा हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में

बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

10) समिति के द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में 2 आवेदकों के पैनल की अनुशंषा वरीयता क्रम में की जायेगी। संस्थागत श्रेणी में अधिकतम एक संस्था की अनुशंषा की जावेगी। कार्यक्रम अधिकारी समिति की अनुशंषा सहित अनुशंषित प्रस्ताव निदेशालय महिला अधिकारिता को अग्रेषित करेंगे।

11) जिला स्तरीय संवीक्षा समिति से प्राप्त आवेदनों में से व्यक्तिगत श्रेणी में दिये जाने वाले 14 पुरस्कार एवं संस्थागत श्रेणी में सम्पूर्ण राज्य में 3 आवेदकों का चयन निम्नानुसार गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगाः–

1	प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, म.बा.वि.	अध्यक्ष
2	प्रतिनिधी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य
3	प्रतिनिधी, गृह विभाग	सदस्य
4	प्रतिनिधी, श्रम विभाग	सदस्य
5	प्रतिनिधी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
6	आयुक्त/निदेशक, महिला अधिकारिता	सदस्य
7	परियोजना समन्वयक, जेण्डर सेल	सदस्य सचिव

समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

5. अनुवर्तन/संचालन/समीक्षा :

योजना के अन्तर्गत प्रचार–प्रसार राज्य स्तर पर निदेशालय, महिला अधिकारिता द्वारा एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता के स्तर पर किया जायेगा।

6. अन्य बिन्दु :

(i) राज्य सरकार के निर्देशों पर "गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना" के अन्तर्गत (यदि कोई हो) निर्धारित नियम/प्रक्रिया/अभिलेख/जांच प्रतिवेदनों, शर्तों आदि में समय–समय पर संशोधन किया जा सकेगा।

(ii) "गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना" के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई/बाधा हो तो उनको दूर करने, नियम के किसी बिन्दू की व्याख्या/शिथिलन, दुर्लभ प्रकरणों में शिथिलता की स्थिति में सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

आवेदन प्रपत्र – संस्था हेतु
गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, 2016

1. संस्था का नाम : .....

2. संस्था का पता: .....

3. सम्पर्क– लैण्डलाइन: .....

   ई–मेल: .....

   फैक्स .....

   मोबाइल: .....

   वेबसाइट .....

4. आवेदनकर्ता/पदाधिकारी का नाम व पदनाम:.....

5. प्रबंधकीय समिति का ब्यौरा: .....

6. मैमोरेण्डम/आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन/ट्रस्ट डीड.....

7. पंजीकरण संख्या (प्रमाण–पत्र संलग्न करें):.....

8. कार्यक्षेत्र : .....
   (उदाहरणत: शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि)

9. संस्था किस स्तर पर कार्यरत है : (चिन्हित करें)

   (i) क्षेत्रीय ☐
   (ii) राज्य ☐
   (iii) राष्ट्रीय ☐
   (iv) अन्तर्राष्ट्रीय ☐

10. कार्यक्षेत्र: भौगोलिक .....

11. संस्था का गत तीन वर्षों का वार्षिक प्रतिवेदन/ऑडिट रिपोर्ट.....

12. आवेदन किये जाने की श्रेणी:–

   (i) यौन शोषण/लैंगिक प्रताडना ☐

   (ii) लिंग जॉच आधारित गर्भपात ☐

   (iii) बाल विवाह ☐

   (iv) बालश्रम ☐

   (v) बाल तस्करी/देह व्यापार ☐

(vi) लैंगिक असमानता ☐

(vii) बालिका संरक्षण के लिए शिक्षा/कौशल विकास के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट प्रयास ☐

13. किये गये कार्य का पूर्ण ब्यौरा एवं पुरस्कार–सम्मान देने बाबत औचित्यः
(अधिकतम 1000 शब्द)
(कृपया अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करें एवं आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज/प्रमाण पत्र/फोटोग्राफ्स संलग्न करें)

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गयी सूचना मेरी जानकारी में सही है।

स्थानः

दिनांकः

हस्ताक्षर मय सील

आवेदन प्रपत्र – व्यक्तिगत सम्मान

गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना, 2016

1. आवेदक का पूरा नाम :.....
2. पदः .....
3. स्थायी पताः .....

   .....
4. वर्तमान पताः .....

   .....
5. सम्पर्क– लैण्डलाइनः .....

   मोबाइलः .....

   ई–मेलः .....
6. शैक्षणिक योग्यताः .....

   .....

   .....
7. व्यवसायिक योग्यताः .....

   .....

   .....
8. नामित करने वाली संस्था/व्यक्ति का पूर्ण ब्यौरा यदि नामिति स्वयं ना हो –

   नाम : .....

   पता : .....

   .....

   सम्पर्कः– मोबाइल : .....

   ई–मेलः .....
9. योजना के तहत नामित वर्गः– **(चिन्हित करें)**

   (अ) 18 वर्ष से कम आयु की बालिका ☐

   (ब) मानदेय कर्मी ☐

   (स) अन्य व्यक्ति महिला या पुरूष ☐

10. आवेदन किये जाने की श्रेणीः– (चिन्हित करें)

(i) यौन शोषण/लैंगिक प्रताडना ☐

(ii) लिंग जॉच आधारित गर्भपात ☐

(iii) बाल विवाह ☐

(iv) बालश्रम ☐

(v) बाल तस्करी/देह व्यापार ☐

(vi) लैंगिक असमानता ☐

(vii) बालिका संरक्षण के लिए शिक्षा/कौशल विकास के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट प्रयास ☐

11. किये गये कार्य का पूर्ण ब्यौरा एवं पुरस्कार–सम्मान देने बाबत औचित्य :
(अधिकतम 1000 शब्द)
(कृपया अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करें एवं आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज/प्रमाण पत्र/फोटोग्राफ्स संलग्न करें)

.....

.....

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त दी गयी सूचना मेरी जानकारी में सही है।

स्थानः

दिनांकः

हस्ताक्षर